

प्रायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- दिलीप सिंह

प्रकरण संख्या

20 / 2025

दायर दिनांक

20.03.2025

निर्णय दिनांक

08.09.2025

उनवान

1. कजोडमल पुत्र नाथूलाल, उम्र वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम उडगवार उर्फ गुडल्या, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर (राज०)
2. सीताराम पुत्र नाथूलाल, उम्र वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम उडगवार उर्फ गुडल्या, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर (राज०)

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल०आर० एक्ट

निर्णय दिनांक 08.09.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम उडगवार उर्फ गुडल्या, पटवार हल्का गुडलिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खाता संख्या 49 के खसरा नम्बर 46 रकबा 0.3879 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.2284 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 1. 2208 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.7225 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 476 रकबा 0.1630 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 477 रकबा 0. 0136 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.2559 हैक्टेयर, कुल किता 7 का कुल रकबा 2.9921 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/2 भाग की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उक्त वर्णित भूमि के गत खसरा नम्बर 24 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 550 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 551 रकबा 2.45 हैक्टेयर, कुल किता 3 का कुल रकबा 2.99 हैक्टेयर ग्राम उडगवार उर्फ गुडल्या, पटवार हल्का गुडलिया, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा वर्तमान में भी कर रहे हैं तथा सरकारी लगान अदा करते आ रहे हैं।

नवीन भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन भू-प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान खसरा नम्बर 550 व 551 रकबा 2.46 हैक्टेयर के नवीन खसरा नम्बर 473, 474, 476, 477, 478 रकबा 2.3758 हैक्टेयर बनाये गये इस प्रकार पुराने खसरा नम्बरों से नवीन खसरा नम्बरों का रकबा 0.0842 हैक्टेयर कम कर दिया गया। जो विधि विरुद्ध है तथा प्रार्थीगण की 0.0842 हैक्टेयर भूमि वर्तमान खसरा नम्बरों में कम कर दी गई है।

*P. Singh*  
08/09/25


अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर 473, 474, 476, 477, 478 रकबा 2.3758 हैक्टेयर भूमि के वर्तमान रकबा व नक्शे को पूर्व की भांति 2.46 हैक्टेयर बनाये जाने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार चौमूं को दिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पत्रावली पर तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 28.08.2025 प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व नक्शा से मिलान करने के पश्चात पाया गया कि प्रार्थी खातेदार के गत साबिक खसरा नम्बर 551 से बने सर्वे उपरान्त नवीन खसरा नम्बर 473 का नक्शा व रकबा खसरा नम्बर 448 में से बढे हुए रकबे में से 0.02 है0 बढाया जाना व नवीन खसरा नम्बर 474 का नक्शा व रकबा खसरा नम्बर 447 में से बढे हुए रकबे में से 0.0642 है0 दिया जाना उचित होगा। तहसीलदार चौमूं द्वारा मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के दुरुस्ती किये जाने की अभिशंषा की गई है।

पत्रावली में उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थीगण के निवेदन पर अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, रिकार्ड, तहसीलदार चौमूं रिपोर्ट दिनांक 28.08.2025 का बगौर अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल0आर0एक्ट का मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं दिनांक 28.08.2025 व रिपोर्ट के संलग्न नक्शे अनुसार स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम उडगवार उर्फ गुडल्या, पटवार हल्का गुडलिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 473, 474, 476, 477, 478 के हाल राजस्व नक्शा व रकबा को गत राजस्व नक्शा व रकबा अनुसार मुताबिक तहसीलदार चौमूं से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 28.08.2025, रिपोर्ट के संलग्न नक्शे के अनुसार राजस्व नक्शा व रकबा दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 28.08.2025, रिपोर्ट के संलग्न नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
दिलीप सिंह

आर.ए.एस

उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जयपुर